



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]
No. 30]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 2000/पौष 9, 1922
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 2000/PAUSA 9, 1922

इस भाग में भिन्न संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन
के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2000

का. नि. आ. 298.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, (सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, (सिविलियन सुरक्षा अधिकारी) 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह 'क' और समूह 'ख') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, सिविलियन सुरक्षा काडर (समूह "क" और समूह "ख") पद भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरम्भिक गठन** :—रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सिविलियन सुरक्षा अधिकारी के पदों के ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उक्त पद धारण किए हुए हैं, सिविलियन सुरक्षा अधिकारी श्रेणी-II के रूप में पुनः पदाभिहित किए जाएंगे और उनके द्वारा की गई नियमित सेवा, प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के अधार पर चयन या चयन सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय
-----------	----------------	----------	---------	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7
1 मिम्विलियन सुरक्षा अधिकारी	02*(2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसूचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती का पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
---	---

11	12
प्रोन्नति जिम्मे न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति : ऐसा मिम्विलियन सुरक्षा अधिकारी-II, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : 1 अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए सिविलियन सुरक्षा अधिकारी के तत्कालीन पद पर की गई नियमित सेवा को भी हिसाब में लिया जाएगा।</p> <p>टिप्पण : 2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन्से ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा</p>

की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
(ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित आधार पर सेवा की है, और
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं-और अनुभव हैं :—
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य और
(ii) सुरक्षा और अग्नि-शमन के कर्तव्यों में दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य मंगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक 'एच' के स्तर से कम न हो—अध्यक्ष
- कार्मिक मुख्य/निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन—सदस्य
- रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग/एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास) से एक अधिकारी जो उप सचिव के स्तर से कम न हो या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किसी प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. सिविलियन सुरक्षा अधिकारी-II के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	07*(2000) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	चयन मद्द-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष
11	12	
60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : ऐसा सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p>	
40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति।	<p>टिप्पण : 1 इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद के विद्यमान पदधारियों के लिए प्रोन्नति के लिए तीन वर्ष की नियमित सेवा लागू बनी रहेगी।</p>	
	<p>टिप्पण : 2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	
	<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—</p>	
	<p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 6500-10,500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या</p>	
	<p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—</p>	
	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य और</p>	
	<p>(ii) सुरक्षा और अग्नि-शमन के कर्तव्यों में आठ वर्ष का अनुभव।</p>	
	<p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	
	<p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	
13	14	
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष		
2. मुख्य नियंत्रक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन—सदस्य		
3. कार्मिक मुख्य/निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन—सदस्य		

1	2	3	4	5	6	7
3. सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी	07*(2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय।	6500-200-10500 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8				9		10
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		2 वर्ष
	11				12	

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :

(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसे ज्येष्ठ सुरक्षा सहायक से जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे ज्येष्ठ सुरक्षा सहायक से, जिसने ज्येष्ठ सुरक्षा सहायक और सुरक्षा सहायक समूह "ग" के रूप में आठ वर्ष सम्मिलित सेवा की है, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष नियमित सेवा ज्येष्ठ सुरक्षा सहायक के रूप में की हो और जो सुरक्षा और अग्नि-शमन का विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों।

(ii) 40 प्रतिशत प्रोन्नति, ऐसे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक (साधारण ड्यूटी) समूह 'ख' से, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो सुरक्षा और अग्नि-शमन का विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; और

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय ने सुरक्षा कर्तव्यों में पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : अग्नि-शमन ने प्रशिक्षण/अनुभव।

12

टिप्पण : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन—अध्यक्ष
2. कार्मिक मुख्य/निदेशक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन—सदस्य
3. रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग/एकीकृत वित्त (अनुसंधान और विकास) से एक अधिकारी, जो अवर सचिव के स्तर से नीचे का ना हो—सदस्य

14

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. डी आर डी ओ/87661/आर आर-एसईसी-अधि/जशवि]

एन. सी. एस. नेगी, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 14th December, 2000

S. R. O. 298.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Civilian Assistant Security Officer) Recruitment Rules, 1990, and the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, (Civilian Security Officer) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the Civilian Security Cadre (Group 'A' and Group 'B') posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence Civilian Security Cadre (Group 'A' and Group 'B') post Recruitment Rules, 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—The incumbents of the posts of Civilian Security Officer in the Defence Research and Development Organisation at the commencement of these rules shall be re-designated as Civilian Security Officer Grade-II and the regular service rendered by them shall be taken into account for the purpose of promotion

3. Number of posts, classification and the scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached to these rules

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit post or selection cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1 Civilian Security Officer-I	02*(2000) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs.10000-325-15200	Selection-cum-seniority	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation.
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
12	13	14			
Promotion : Civilian Security Officer-II with five years regular service in the grade.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1 Chief Controller, Research and	Consultation with Union Public Service Commission is not			

12

13

14

Note : 1 For the purpose of counting of qualifying service, the regular service rendered in the erstwhile post of Civilian Security Officer shall also be taken into account

Note : 2 Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government :—

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs 8000-13500 or equivalent; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :—

(i) Degree from a recognised University or equivalent; and

(ii) Ten years experience in Security and Fire-fighting duties.

Note : (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)

Development not below the level of Scientist 'H' in Defence Research and Development Organisation.—Chairman

necessary.

2. Chief/Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation—Member

3. An officer not below the level of Deputy Secretary from the Department of Defence Research and Development/Integrated Finance (Research and Development) or Director of a Laboratory/Establishment of Defence Research and Development Organisation—Member

1	2	3	4	5	6
2. Civilian Security Officer-II	07*(2000) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazette Non-Ministerial.	Rs.8000-275-13500	Selection-cum-seniority.	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	60% Promotion failing which by deputation. 40% Deputation.
<hr/>				
12		13		14
<p>Promotion : Civilian Assistant Security Officer with five years regular service in the grade. Note 1 : For the existing incumbents of the Civilian Assistant Security Officer on the date of notification of these revised rules, three years regular service would continue to be applicable for promotion.</p>		<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman/Member. Union Public Service Commission—Chairman 2. Chief Controller. Defence Research and Development Organisation—Member 3. Chief/Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation—Member 		<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary</p>
<p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>				
<p>Deputation :</p>				
<p>Officers of the Central Government :—</p>				
<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p>				
<p>(ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent; and</p>				
<p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience .—</p>				
<p>(i) Degree from a recognised University or equivalent; and</p>				
<p>(ii) Eight years experience in Security and Fire Fighting duties.</p>				
<p>Note : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>				

1	2	3	4	5	6
3. Civilian Assistant Security Officer	07*(2000) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazette Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Selection-cum-seniority	Not applicable
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation	
12	13	14			
<p>Promotion :</p> <p>(i) 60% promotion from Senior Security Assistant with six years regular service in the grade failing which Senior Security Assistant with eight years combined service as Senior Security Assistant and Security Assistant Grade 'C' with minimum two years regular service as Senior Security Assistant and who have successfully completed the prescribed training course on security and fire fighting.</p> <p>(ii) 40% promotion from Senior Supervisor (General Duties) 'B' with three years regular service in the grade and who have successfully completed the prescribed training course on security and fire fighting.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers of the Central Government :—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500—9000 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience :—</p> <p>(i) Degree from a recognised University or equivalent; and</p>		<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee .</p> <p>1 Chief Controller, Research and Development, Defence Research and Development Organisation.—Chairman</p> <p>2. Chief/Director of Personnel, Defence Research and Development Organisation—Member</p> <p>3 An officer not below the level of Under Secretary from the Department of Defence Research and Development/Integrated Finance (Research and Development).—Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary</p>		

(ii) Five years' experience in security duties in a Central/State Government Organisation or Public Sector Undertaking or Autonomous body.

Desirable:

Training/Experience in Fire Fighting duties.

Note : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[F. No. DRDO/87661/RR—SEC OFFR/MPD]
N.C.S. NEGI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2000

का. नि. आ. 299.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना कैडेट कालेज (श्रेणी-I और श्रेणी-II) भर्ती नियम 1987 को जहां तक उनका संबंध प्राध्यापक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सेना अकादमी सेना कैडेट कालेज विंग में प्राध्यापक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना कैडेट कालेज विंग भारतीय सेना अकादमी (प्राध्यापक) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **कैरियर उन्नयन स्कीम का उपबंध :** प्राध्यापकों के कैरियर के उन्नयन की स्कीम समय-समय पर इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।